अनुदान संख्या–14 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–2515001010018

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/47/2017–1/218/2017 लखनऊः दिनांक 19 जुलाई, 2017

विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 अनुदान संख्या–14 में डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू–225.53 लाख का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–53/2017/1381/33–3–2017–100(33)/2015 दिनांक 14 जुलाई, 2017 (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0–541.28 लाख के सापेक्ष लेखानुदान अवधि की 5/12वे हिस्से की धनराशि रू0–225.53 लाख (रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख तिरपन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू0–225.53 लाख (रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख तिरपन हजार मात्र) संलग्न आवंटन की मदों में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:–

1–आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2017/बी–1–02/दस–2017–231/2016 दिनांक 22.01.2017, एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–3/2017/बी–1–348/दस–2017–231/2017 दिनांक 20.03.2017, में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3–इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु लेखा एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध करायी जाय।

4–उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या– 14 के लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायती राज–18–डा0राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना के नामे डाला जायेगा।

5– उक्त आवंटित धनराशि का व्यय करने में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः आवंटित धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–सीए 934/दस–2008–मि–1/2007, दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

6– आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर बजट एवं लेखा अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

7– उक्त आवंटित धनराशि को आहरित कर किसी बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 ने जमा नही किया जायेगा।

8– उक्त आवंटित धनराशि का व्यय डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना (नई योजना) के कियान्वयन हेतु निर्गत दिशा निर्देश (गाइड लाइन) के शासनादेश संख्या–81/2016/2689/33–3–2016–100(33)/2015, दिनांक 20–10–2016 के अनुसार किया जायेगा।

9–उक्त आवंटित धनराशि जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा।

10– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

11– आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

12–उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।

13–धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– 96 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः1/शा0/47/1/2017 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
3– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
5– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6– उप निदेशक(पं0)/योजना प्रभारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
7– एस0पी0एम0यू0 सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(2)

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018

आवंटन दिनांक-19/07/2017

प्रेषण संख्या:- 1-sha-47-2017-1-218-2017

आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-218-2017

अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज

18 - डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		08-कार्यालय व्यय	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	42-अन्य व्यय	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	2506000 2506000	4166000 4166000	12917000 12917000	1464000 1464000	1500000 1500000	22553000 22553000
	योग	वर्तमान प्रगामी	2506000 2506000	4166000 4166000	12917000 12917000	1464000 1464000	1500000 1500000	22553000 22553000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ पच्चीस लाख तिरेपन हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ पच्चीस लाख तिरेपन हजार

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

1381

संख्या- 53/2017/ ~~867~~/33-3-2017-100(33)/2015

प्रेषक,

जोगेन्द्र प्रसाद

उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायती राज,

उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 14 जुलाई ~~मई~~, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-14 में डा. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू. 225.53 लाख अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 46/2017-आर.जी.पी.एस.ए./19/2017 दिनांक 03.05.2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/ बी-1-02/ दस-2017-231/2016 दिनांक 02.01.2017 एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/ 2017 दिनांक 20.03.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत डा. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजनान्तर्गत रू. 541.28 लाख की बजट व्यवस्था की गयी है। डा. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजनान्तर्गत लेखानुदान अवधि की 5/12वें हिस्से की धनराशि रू. 225.53 लाख (रू. दो करोड़ पच्चीस लाख तिरपन हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/ दस-2017-231/2016 दिनांक 02.01.2017 एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/ 2017 दिनांक 20.03.2017 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों, प्रतिबंधों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनैनशिल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-18-डा. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना के नामे डाला जायेगा।

(6) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्यतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मि-1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(8) स्वीकृत की जारी धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में जमा नहीं किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत धनराशि का व्यय डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना (नई योजना) के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश (गाइड लाइन) के शासनादेश संख्या-81/2016/2689/33-3-2016-100(33)/2015 दिनांक 20.10.2016 के अनुसार किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- यह ओदश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/ बी-1-02/ दस-2017-231/2016 दिनांक 02.01.2017 एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/ 2017 दिनांक 20.03.2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
6- एन0आई0सी0 की प्रति।
7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(बजट) अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।